भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 1981/भाद्र 12, 1903
No 403] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 3, 1981/BHADRA 12, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1981

का० आ० 678(अ)—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 511(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा इंडियन हैल्थ इन्स्टीट्यूट एण्ड लेबोरेट्री लिमिटेड, कलकत्ता नामक सपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन, तारीख 4 सितम्बर, 1979 से दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित मे यह समीचीन है कि प्रबंध ग्रहण का आदेश एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2/22/80-सी०यू०एस]

सी० के० मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1981

S.O. 678(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 511(E), dated the 4th September, 1979 (hereinafter referred to as the said order) the management of the whole of the industrial undertaking known as Indian Health Institute and Laboratory Limited, Calcutta, was taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of two years from the 4th September, 1979.

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the taking over of management Order shall continue to have effect for a further period of one year.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of one year.

[F. No. 2/22/80-C U.S.]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1981